जीविका
ग्रामीण विकास विभाग, बिहार सरकार

बिहार ग्रामीण जीविकोपार्जन प्रोत्साहन समिति
राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन, बिहार

बिहार सरकार

विद्युत भवन – 2, बेली रोड, पटना – 800 021, दूरभाषः +91-612-250 4980, फैक्सः +91-612-250 4960, वेबसाइटः www.brlps.in

पत्रांक: BRLPS/Proj-M&E/1551/19/Vol-II/5159 दिनांक: 14.12.2022

कार्यालय आदेश

सतत् जीविकोपार्जन योजना अंतर्गत क्षेत्र भ्रमण हेतु जिला स्तर पर वाहन की उपलब्धता

राज्य सरकार द्वारा शुरू की गयी योजना "सतत् जीविकोपार्जन योजना" अंतर्गत निर्धारित लक्ष्यों की प्राप्ति हेतु आवश्यक है कि जिला स्तर पर कार्यरत कर्मियों द्वारा नियमित रूप से क्षेत्र/ लक्षित परिवारों का गृह भ्रमण सुनिश्चित किया जाए। क्षेत्र/गृह भ्रमण में सुगमता हेतु प्रत्येक माह में 15 दिनों के लिए वाहन की उपलब्धता सुनिश्चित किया जाना है, जिसके लिए कार्यालय आदेश BRLPS/Proj-M&E-SJY/1373/18/1987 दिनांक- 04.09.2018 पूर्व में निर्गत किए गये है। सभी जिलों द्वारा पूर्व निर्गत दिशा निर्देशों के अनुरूप निर्धारित इकाई दर के अनुसार वाहन किराए पर लेने में समस्या होने से संबन्धित सूचनाएँ राज्य कार्यालय में प्राप्त हो रही है। योजना की आवश्यकता को ध्यान में रखते निम्न संसोधित निर्देश दिए जा रहे है :

कार्यालय आदेश	पूर्व के निर्देश	संसोधित निर्देश
BRLPS/Proj-M&E-SJY/1373/18/1987 दिनांक- 04.09.2018	सतत् जीविकोपार्जन योजना के कार्यों हेतु किराए पर वाहन लेने हेतु बी.आर.एल.पी.एस. के द्वारा निर्धारित इकाई दर का पालन किया जाएगा	पूर्व में निर्गत कार्यालय आदेश – BRLPS/Proj/197/10/2080 दिनांक- 11.09.18 के माध्यम से किराए पर वाहन लेने हेतु 1500/- प्रतिदिन का इकाई दर निर्धारित किया गया था, जीविका द्वारा DDU-GKY अंतर्गत पूर्व में निर्गत कार्यालय आदेश संख्या- **BRLPS/Proj-Jobs/1507/19/1032 दिनांक-23-06-2022 के अनुलग्नक-3** को ध्यान में रखते इकाई दर को संसोधित करते हुये वाहन का इकाई दर अधिकतम 2000/- (प्रतिदिन) निर्धारित किया जा रहा है।
नोट- उपरोक्त कार्यालय आदेश में अंकित अन्य दिशा निर्देश पूर्व के भाति लागू रहेंगे।		

सतत् जीविकोपार्जन योजना के कार्यों में तेजी लाने हेतु अन्य दिशा निर्देश :

1. जिला नोडल –एस.जे.वाई. प्रत्येक माह के 05 तारीख तक क्षेत्र/गृह भ्रमण हेतु अग्रिम कार्य योजना तैयार करके संबन्धित जिला परियोजना प्रबन्धक तथा SPM-M&E /SD से साझा करना सुनिश्चित करेंगे।
2. जिला स्तर पर कार्यरत नोडल तथा नामित एस.जे.वाई. कर्मी प्रत्येक सप्ताह में कम से कम तीन कार्य दिवस (मंगलवार, बुधवार तथा वृहस्पतिवार) को अनिवार्य रूप से तथा अन्य कार्य दिवसों में आवश्यकता अनुसार क्षेत्र/गृह भ्रमण करना सुनिश्चित करेंगे।
3. संबन्धित जिला परियोजना प्रबन्धक द्वारा सतत् जीविकोपार्जन योजना के कार्यों हेतु प्रत्येक महीने में जिला स्तर पर वाहन की उपलब्धता सुनिश्चित की जाएगी।

13/12/22

(राहुल कुमार)
मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी सह मिशन निर्देशक

प्रतिलिपि :

- सभी जिलों के जिला परियोजना प्रबन्धक, वित् प्रबन्धक तथा एसजेवाई नोडल
- राज्य इकाई के सभी कर्मी तथा संबन्धित संचिका